

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स 3-5(4)स्थाना/अराजपत्रित/अभि/2016/651-700

जयपुर, दिनांक: 01.09.2023

आदेश

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०दि
1.	श्री कानाराम मीना	न्यायालय एसीजे (जेडी) एम एम नं० 19, चाकसू, जयपुर प्रथम	न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर	रिक्त पद पर
2.	सुश्री सोनू महर्षि	एसीजे (जेडी) एम एम, 12, जयपुर महानगर, द्वितीय	एसीजे (जेडी) एम एम, 22, जयपुर महानगर, द्वितीय	डॉ. सुशीला के स्थान पर
3.	डॉ. सुशीला	एसीजे (जेडी) एम एम, 22, जयपुर महानगर, द्वितीय	एसीजे (जेडी) एम एम, 12, जयपुर महानगर, द्वितीय	सुश्री महर्षि के स्थान पर
4.	सुश्री हनी टाक	न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम दक्षिण, अजमेर	न्यायालय एसीजे (जेडी) जेएम नं० 2, अजमेर	रिक्त पद पर

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा) 01/09/23
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
3. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
8. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर